सं.एक्स.11035/210/2019-डीआरएस

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(औषधि विनियमन प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक:17 सितंबर, 2019

रिक्ति ज्ञापन

विषय: औषधि प्रभाग में संविदा आधार पर दो परामर्शदाताओं की नियुक्ति।

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, एक वर्ष की अवधि के लिए पूर्णतया संविदा आधार पर दो परामर्शदाताओं के अनुबंध हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

क्र. सं.	पद	अर्हता	पदों की संख्या	पारिश्रमिक	अपेक्षित कार्य
1.	परामर्शदाता	हाल ही में सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के उप सचिव / अवर सचिव स्तर के अधिकारी, जो स्नातक उपाधि सहित 65 वर्ष से कम आयु के हैं। उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनके पास प्रासंगिक क्षेत्र का अनुभव है।.	1	60,000/- रुपये प्रतिमाह समेकित	भर्ती नियम तैयार करना / संशोधित करना; इस प्रभाग से संबद्ध / अधिनस्थ कार्यालय एवं स्वायत्तशासी निकाय से संबंधित सभी प्रशासनिक/स्थापना संबंधी मुद्दे। विभिन्न न्यायालयों / प्रशासनिक न्यायाधीकरणों की प्रशासनिक पद्धतियाँ तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों सहित न्यायालय संबंधी मामलों का निपटारा; जनशक्ति विनियोजन /संरचना की योजना बनाना / प्रस्ताव तैयार करना; भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति संबंधी मामले।

2	परामर्शदाता	हाल ही में सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के उप सचिव / अवर सचिव स्तर के अधिकारी, जो परास्नातक उपाधि सहित 65 वर्ष से कम आयु के हैं। उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनके पास प्रासंगिक क्षेत्र का अनुभव है।.	1	60,000/- रुपये प्रतिमाह समेकित	औषधि विनियामक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने संबंधी मामले, जिनमें राज्यों को अनुदान जारी करने और राज्य सरकारों के साथ इस मामले में सम्पर्क एवं बजट संबंधी मामले। उक्त योजना का मूल्यांकन एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रदत्त अन्य मामले तथा कार्य।

65 वर्ष तक की आयु वाले इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी, जिनके पास अपेक्षित अर्हता/अनुभव हैं, रोजगार समाचार में प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के अन्दर तक अवर सचिव (औषधि विनियमन), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कक्ष संख्या 414 ए, डी विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को संक्षिप्त प्रोफाइल के साथ अथवा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र drugsdiv-mohfw@gov.in पर भी ई-मेल किए जा सकते हैं।

नोट: (1) चयन आवेदकों की अर्हता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो आवेदनों की जांच के बाद एक साक्षात्कार भी आयोजित किया जा सकता है। आवेदन में उनके द्वारा प्रदान किए गए जानकारी विवरण पर आवेदकों को उपयुक्त रूप से सूचित किया जाएगा।

(2) संविदा की नियुक्ति शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिस पर प्रदर्शन के आधार पर उचित मूल्यांकन के बाद आवश्यकता के अनुसार विस्तार किए जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

(3) निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

17/9/24

(राजीव कुमार)
अनुभाग अधिकारी

दूरभाष: 23062419